वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत श्री अवधेश सिंह, माननीय स0वि0स0, हाजीपुर द्वारा Ro Water ATM की आपूर्ति / अधिष्ठापन हेतु अनुशंसा प्राप्त हुआ है। जिसके लिए उत्पादनकर्त्ता.डीलर एंव आपूर्तिकर्त्ता से मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। सभी प्रतिष्ठानों/ फर्मो एवं उनके प्राधिकृत विकेता सामानों के आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तो के साथ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 20.04.17 को 1:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, वैशाली में दाखिल कर सकते है। प्राप्त निविदा को दिनांक 20.04.17 को ही अपराह्न 3.30 बजे जिला कय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

क0	अधिष्ठापन हेतु स्थान	आवश्यकता	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	हाजीपुर शहर के 11 विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर Prepaid Water ATM मशीन की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य।	11 अदद्	

(क) तकनीकी निविदा की शर्तेः-

1. तकनीकी निविदा में 50,000/- (पच्चास हजार) रूपया मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य बैंक ड्राफ्ट, जो जिला योजना पदाधिकारी, वैशाली के पदनाम से देय एवं वैशाली में भुगतान हो, संलग्न रहना होगा।
2. निविदादाता को आयकर, वाणिज्यकर निबंधित होना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को निबंधित प्रतिष्ठान का प्रमाण-पत्र व संस्था का परिचय संलग्न करना अनिवार्य है।
4. वैट, सी0एस0टी0 के अन्तर्गत निबंधन होने का प्रमाण-पत्र देना होगा।
5. निविदादाता को अद्यतन आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड नं0 संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता की काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा।
7. निविदादाता को सर्विस टैक्स की छायाप्रति देना होगा।
8. निविदादाता को इन्ट्री टैक्स की छायाप्रति देना होगा।
9. ऑथोराईज डीलरशीप सर्टीफिकेट देना अनिवार्य होगा।
10. आई0एस0आई0 सर्टीफिकेट की छायाप्रति देना होगा।
11. निविदाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्ते मान्य है।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तेः-

12. वित्तीय निविदा में उपलब्ध सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

(ख) सामान्य शर्तेः-

13. जिला योजना कार्यालय, वैशाली में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
14. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।
15. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
16. कायदेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय सीमा के अन्दर चिन्हित स्थानों पर करना होगा, जिसके लिए अलग से भाड़ा/ कुली देय नहीं होगी।
17. स्वीकृत आपूतिकर्त्ता को RO Water ATM मशीन का पाँच वर्षो तक रख-रखाव करना होगा।
18. विवाद की स्थिति में न्यायालय, वैशाली का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
19. विपत्र का भुगतान सक्षम पदाधिकारी (तकनीकी) से गुणवत्ता जाँचोपरांत किया जाएगा।
20. बिना कारण बताए निविदा की स्वीकृति/ रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
21. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक :   /जि0यो0 दिनांक :

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को निविदा की सी0डी0 एवं पाँच प्रतियों के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा को प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट किया जाय।

ह0/ -

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक : 459   /जि0यो0 दिनांक : 29.03.17

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि जिले के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28.3.17

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।